



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042024-253807
CG-DL-E-22042024-253807

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1674]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 22, 2024/वैशाख 02, 1946

No. 1674]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 22, 2024/VAISAKHA 02, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2024

(आयकर)

का.आ. 1760(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 118 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दिनांक 4 जुलाई, 2022 की शुद्धिपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 3044(अ), के साथ पठित दिनांक 10 जून, 2022, की अधिसूचना संख्या का.आ. 2692(अ), में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,

- खंड (क) में, "नीचे अनुसूची (इसके बाद उक्त अनुसूची के रूप में संदर्भित)" शब्दों के स्थान पर "प्रथम अनुसूची" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- खंड (ख) में, दोनों स्थानों पर जहां "उक्त अनुसूची" शब्द आते हैं, के स्थान पर क्रमशः "प्रथम अनुसूची" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) खंड (ग) में, -

(क) दोनों स्थानों पर जहां "उक्त अनुसूची" शब्द आते हैं, के स्थान पर क्रमशः "प्रथम अनुसूची" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) शब्द "और" को हटा दिया जाएगा;

(iv) खंड (घ) में, "उक्त अनुसूची" शब्दों के स्थान पर, "प्रथम अनुसूची" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित खंडों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(ड.) द्वितीय अनुसूची के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रधान आयकर आयुक्त, उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के अधीनस्थ होंगे; और

(च) द्वितीय अनुसूची के स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिष्ट इकाइयों के आयकर प्राधिकारी उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट प्रधान आयकर आयुक्तों के अधीनस्थ होंगे।";

(vi) इस प्रकार अंतःस्थापित किए गए खंड (ड.) और (च) के पश्चात, शीर्षक "अनुसूची", के स्थान पर शीर्षक "प्रथम अनुसूची" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) पहली अनुसूची में, -

(क) क्रम संख्या 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"3.	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, तमिलनाडु और पुडुचेरी (चेन्नई)	(i) मुख्य आयकर आयुक्त, चेन्नई-4 (चेन्नई)	(i) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-1, चेन्नई (चेन्नई)	(i) (निर्धारण इकाई) - 1, चेन्नई
			(ii) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-2, चेन्नई (चेन्नई)	(ii) (निर्धारण इकाई) - 2, चेन्नई
			(iii) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-3, चेन्नई (चेन्नई)	(iii) (निर्धारण इकाई) - 3, चेन्नई
			(iv) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-4, चेन्नई (चेन्नई)	(iv) (निर्धारण इकाई) - 4, चेन्नई
			(v) प्रधान आयकर आयुक्त, (समीक्षा इकाई) - 1, चेन्नई (चेन्नई)	(v) (समीक्षा इकाई)-1, चेन्नई
		(ii) मुख्य आयकर आयुक्त, चेन्नई-3 (चेन्नई)	(i) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-5, चेन्नई (चेन्नई)	(i) (निर्धारण इकाई) - 5, चेन्नई
			(ii) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-6, चेन्नई (चेन्नई)	(ii) (निर्धारण इकाई) - 6, चेन्नई
			(iii) प्रधान आयकर आयुक्त, (सत्यापन इकाई)-1, चेन्नई (चेन्नई)	(iii) (सत्यापन इकाई) - 1, चेन्नई
			(iv) प्रधान आयकर आयुक्त, (समीक्षा इकाई) - 2, चेन्नई (चेन्नई)	(iv) (समीक्षा इकाई)-2, चेन्नई
		(iii) मुख्य आयकर आयुक्त, तिरुचिरापल्ली (तिरुचिरापल्ली)	(i) प्रधान आयकर आयुक्त (निर्धारण इकाई)-1	(i) (निर्धारण इकाई) - 1, सलेम
			(ii) प्रधान आयकर आयुक्त, (सत्यापन इकाई)-1, कोयम्बटूर (कोयम्बटूर)	(ii) (सत्यापन इकाई) - 1, कोयम्बटूर
			(iii) प्रधान आयकर आयुक्त, (सत्यापन इकाई)-1, त्रिची (त्रिची)	(iii) (सत्यापन इकाई)-1, त्रिची।

(ख) क्रम संख्या 5 और 6 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

"5.	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (हैदराबाद)	(i) मुख्य आयकर आयुक्त, विजयवाड़ा (विजयवाड़ा)	(i) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-1, हैदराबाद (हैदराबाद)	(i) (निर्धारण इकाई) - 1, हैदराबाद
			(ii) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-2, हैदराबाद (हैदराबाद)	(ii) (निर्धारण इकाई) - 2, हैदराबाद
			(iii) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-3, हैदराबाद (हैदराबाद)	(iii) (निर्धारण इकाई) - 3, हैदराबाद
			(iv) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-4, हैदराबाद (हैदराबाद)	(iv) (निर्धारण इकाई) - 4, हैदराबाद
			(v) प्रधान आयकर आयुक्त, (सत्यापन इकाई)-1, हैदराबाद (हैदराबाद)	(v) (सत्यापन इकाई)-1, हैदराबाद
			(vi) प्रधान आयकर आयुक्त, (समीक्षा इकाई) - 1, हैदराबाद (हैदराबाद)	(vi) समीक्षा इकाई-1, हैदराबाद
		(ii) मुख्य आयकर आयुक्त, विशाखापट्टनम (विशाखापट्टनम)	(i) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-1, विशाखापट्टनम (विशाखापट्टनम)	(i) (निर्धारण इकाई) - 1, विशाखापट्टनम
			(ii) प्रधान आयकर आयुक्त, (सत्यापन इकाई)-1, गुंटूर (गुंटूर)	(ii) (सत्यापन इकाई) - 1, गुंटूर

6.	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पश्चिम बंगाल और सिक्किम (कोलकाता)	(i) मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता-6 (कोलकाता)	(i) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-1, कोलकाता (कोलकाता)	(i) (निर्धारण इकाई) - 1, कोलकाता
			(ii) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-2, कोलकाता (कोलकाता)	(ii) (निर्धारण इकाई) - 2, कोलकाता
			(iii) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-3, कोलकाता (कोलकाता)	(iii) (निर्धारण इकाई) - 3, कोलकाता
			(iv) प्रधान आयकर आयुक्त, (समीक्षा इकाई) - 1, कोलकाता (कोलकाता)	(iv) (समीक्षा इकाई)-1, कोलकाता
		(ii) मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता-3 (कोलकाता)	(i) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-4, कोलकाता (कोलकाता)	(i) (निर्धारण इकाई) - 4, कोलकाता
			(ii) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-5, कोलकाता (कोलकाता)	(ii) (निर्धारण इकाई) - 5, कोलकाता
			(iii) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-6, कोलकाता (कोलकाता)	(iii) (निर्धारण इकाई) - 6, कोलकाता
			(iv) प्रधान आयकर आयुक्त, (समीक्षा इकाई) - 2, कोलकाता (कोलकाता)	(iv) (समीक्षा इकाई)-2, कोलकाता
		(iii) मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता-4 (कोलकाता)	(i) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-7, कोलकाता (कोलकाता)	(i) (निर्धारण इकाई) - 7, कोलकाता
			(ii) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-8, कोलकाता (कोलकाता)	(ii) (निर्धारण इकाई) - 8, कोलकाता

		इकाई-8, कोलकाता (कोलकाता)	कोलकाता
		(iii) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-9, कोलकाता (कोलकाता)	(iii) (निर्धारण इकाई) - 9, कोलकाता।

(ग) क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"8.	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पुणे (पुणे)	(i) मुख्य आयकर आयुक्त, ठाणे (ठाणे)	(i) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-1, पुणे (पुणे)	(i) (निर्धारण इकाई) - 1, पुणे
			(ii) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-2, पुणे (पुणे)	(ii) (निर्धारण इकाई) - 2, पुणे
			(iii) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-1, ठाणे (ठाणे)	(iii) (निर्धारण इकाई) - 1, ठाणे
			(iv) प्रधान आयकर आयुक्त, (सत्यापन इकाई)-1, पुणे (पुणे)	(iv) (सत्यापन इकाई)-1, पुणे
			(v) प्रधान आयकर आयुक्त, (सत्यापन इकाई)-1, ठाणे (ठाणे)	(v) (सत्यापन इकाई)- 1, ठाणे
			(vi) प्रधान आयकर आयुक्त, (समीक्षा इकाई) - 1, पुणे (पुणे)	(vi) (समीक्षा इकाई)-1, पुणे
		(ii) मुख्य आयकर आयुक्त, नासिक (नासिक)	(i) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-1, औरंगाबाद (औरंगाबाद)	(i) (निर्धारण इकाई) - 1, औरंगाबाद
			(ii) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-1, कोल्हापुर (कोल्हापुर)	(ii) (निर्धारण इकाई) - 1, कोल्हापुर
			(iii) प्रधान आयकर आयुक्त, (सत्यापन इकाई)-1, नासिक (नासिक)	(iii) (सत्यापन इकाई)- 1, नासिक।

(viii) पहली अनुसूची के बाद, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"दूसरी अनुसूची

क्र.सं.	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त (मुख्यालय)	प्रधान आयकर आयुक्त (मुख्यालय)	इकाइयों के आयकर प्राधिकरण
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, केरल (कोच्चि)	(i) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-I, कोट्टायम (कोट्टायम)	(i) (निर्धारण इकाई)-I, कोट्टायम
		(ii) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-I, त्रिशूर (त्रिशूर)	(ii) (निर्धारण इकाई)-I, त्रिशूर
		(iii) प्रधान आयकर आयुक्त (सत्यापन इकाई)-I, कोच्चि (कोच्चि)	(iii) (सत्यापन इकाई)-I, कोच्चि
2.	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, ओडिशा (भुवनेश्वर)	(i) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-I, भुवनेश्वर (भुवनेश्वर)	(i) (निर्धारण इकाई)-I, भुवनेश्वर
		(ii) प्रधान आयकर आयुक्त (सत्यापन इकाई)-I, कटक (कटक)	(ii) (सत्यापन इकाई)-I, कटक
3.	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र (गुवाहाटी)	(i) प्रधान आयकर आयुक्त, (निर्धारण इकाई)-I, डिब्रूगढ़ (डिब्रूगढ़)	(i) (निर्धारण इकाई)-I, डिब्रूगढ़

		(ii) प्रधान आयकर आयुक्त, (सत्यापन इकाई)-I, जोरहाट (जोरहाट)	(ii) (सत्यापन इकाई)-I, जोरहाट
4.	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, नागपुर (नागपुर)	(i) प्रधान आयकर आयुक्त, (सत्यापन इकाई)-I, नागपुर (नागपुर)	(i) (सत्यापन इकाई)-I, नागपुर।

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

[सं. 39 /2024/फा.सं. 187/4/2024-आईटीए-I]

विकास सिंह, निदेशक

नोट—प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. 2692(अ) दिनांक 10 जून, 2022 के तहत प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् दिनांक 4 जुलाई, 2022 के शुद्धिपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 3044(अ) के द्वारा संशोधित किया गया था।